

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:भ-60/सीएफओ/जीबीएन-10(1)

1125

दिनांक:सितम्बर

23

2010.

सेवा में,

प्रभारी, (भवन प्रकोष्ठ)

नौएडा सेक्टर-6

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स यूनिटेक लि0 द्वारा प्लॉट न0-जीएच-01 सेक्टर-117, (फेज-4) नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रेजीडेन्शियल अपार्टमेंट के 06 टावर, भवन निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के सम्बन्ध में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक मैसर्स यूनिटेक लि0 द्वारा प्लॉट न0-जीएच-01 सेक्टर-117 फेज-4, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेंट के 06 टावर, निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में प्रस्तुत मानचित्रों परीक्षण एवं प्रश्नोत्तरी का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम से कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

1- मानचित्रों में भवन के सामने रोड की चौड़ाई मानको के अनुरूप दर्शाई गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं।

2- भवन के निर्माण हेतु फेज-4 में कुल-25,149.87 वर्ग मी का प्लॉट है जिसमें से 5308.22 वर्ग मी0 भूतल कवर्ड एरिया पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। भवन में एक बेसमेंट के अतिरिक्त भूतल से 13 वे तल तक 06 टावर टी-27 से टी-32 तक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिनका टावरवार विवरण निम्नवत है।

1-टावर टी0-27 से टी-32 तक प्रत्येक टावर का एरिया:-ग्राउण्ड फ्लोर एरिया-836.84 वर्ग मी0 है तथा प्रथम तल से 13 वे तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया-782.45 वर्ग मी0 निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

3- भवन में प्रस्तावित बेसमेंट का कवर्ड एरिया-14781.02 वर्ग मी0 दर्शाया गया है जिसमें कम्पार्टमेंटेशन, वेन्टीलेशन एवं स्टेयर केश के प्राविधान एन0बी0सी0 के मानको के अनुसार किये जाने अनिवार्य होंगे।

4- स्टेयर केस एवं लिफ्ट

भवन के प्रत्येक टावर में नीचे के तलो से उपरी तलो तक जाने आने के लिए दो दो स्टेयर केस एवं लिफ्टों का प्राविधान एन0बी0सी0-2005 के क्लॉज-4.4, 4.6 एवं 4.9 के अनुसार अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6- सैटबेक

मानचित्रों में भवन के चारों तरफ अंकित सैटबेक अग्रभाग 22.10 मी0, पृष्ठ भाग-9 मी0, पार्श्व भाग-09 मी, पार्श्व भाग 2-09 मी.को छोड़ा जाना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध में नौएडा आथर्टी के नियमों एवं एन0बी0सी0-2005 के मानको का पालन किया जाना आवश्यक है जिसमें से 06 मीटर मोटरेबुल सैटबेक हार्ड सरफेस युक्त होना अनिवार्य होगा जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाये भवन के सैटबेक में किसी भी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण न कराया जाये।

6- जीव रक्षा के सुझाव

1. भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाये कि किसी भी अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 एयर चेंज व साधारण स्थिति में 12 चेंज होना आवश्यक है।

2. भवन में रियूज एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-4.12.1 से 12.3 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

1. यदि भवन के किसी भाग को सेन्ट्रली एयर कण्डीशन बनाया जाता है तो एयर कण्डीशन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया

जाये।

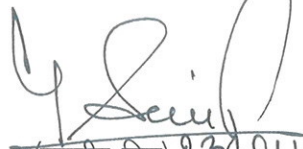
2. भवन में ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-सी 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।
3. भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

7-एन0बी0सी0 पार्ट-4, 2005 के मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझाव:-

- 1- भवन में अग्निशमन कार्यों के लिए भवन को हेतु 2,00,000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टैंक, प्रत्येक टावरों की ऊँचाई के अनुसार एन0बी0सी0 में उल्लेखित मानकों के अनुसार टेरिस टैंक 10,000 ली0 प्रत्येक टावर पर स्थापित किया जाये। दोनों टैंकों को जोड़ते हुए वेटराइजर कम डाउनकामर का प्राविधान किया जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज केबिनेट स्थापित किये जाये एवं प्रत्येक होज केबिनेट में दो दो अदद आर0 आर0 एल0 होज पाइप 15-15 मीटर व स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जाये।
- 2- भवन के वेटराइजर कम डाउनकामर को सदैव पानी से प्रेशर युक्त बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास प्रत्येक जोन के लिए 2250 एलपीएम के दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक-एक अदद डीजल चालित पम्प, 180 एलपीएम का विद्युत चालित जौकी पम्प स्थापित किये जाये। वेटराइजर कम डाउनकामर के नीचे व उपर की तरफ एन0आर0वी0 व उपर की तरफ एयर रिलीज वाल्व तथा भूतल पर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया जाये।
- 3- सम्पूर्ण भवन के बेसमेन्ट में मानकों के अनुसार आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये।
- 4- भवन के चारों ओर रिंग मेन डालकर उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस का प्राविधान किया जाये।
- 5- भवन के प्रत्येक तल पर मेनुअल आपरेटिड ईलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाये जिसका मेन पैनल कम से कम 02 घण्टे की बैट्री बैकअप सिस्टम से युक्त होना आवश्यक।
- 6- भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान किया जाये ताकि आपातस्थिति में भवन के अन्दर कार्यरत लोगों को अवगत कराकर बाहर निकाला जा सके।
- 7- भवन के अन्दर फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिए एन0बी0सी0-2005 के क्लॉज सी-5 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
- 8- फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराये जाने अनिवार्य होंगे।
- 9- भवन में एन0बी0सी0 के क्लॉज 6.1" रिक्वारमेन्ट ऑफ रेजिडेन्सियल बिल्डिंग ग्रुप-ए0" का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10- भवन के ब्लॉकों के मध्य डिस्टेन्स बिटविन ब्लॉक भवन निर्माण विकास उपविधि के अनुसार रखी जानी अनिवार्य होगी।
- 11- भवन के कम्युनिटी एवं कामर्शियल भवनों में अग्निशमन व्यवस्था एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार अलग से कराई जानी अनिवार्य होगी।
- 12- भवन में स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख में कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ-2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी-6 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

अतः अग्निशमन अधिकारी नोएडा फेज-प्रथम की आख्या के आधार पर मैसर्स यूनिटेक लि0 द्वारा प्लॉट न0-जीएच-01 सेक्टर-117, (फेज-4) नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रेजिडेन्शियल अपार्टमेन्ट भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005, उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005, एवं तत् समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण

अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।


(महावीर सिंह) 22/11/20
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: 1- अग्निशमन अधिकारी नोएडा फेज -प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मैसर्स यूनियटेक लि0 द्वारा प्लॉट न0-जीएच-01 सेक्टर-117,(फेज-4) नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।